

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत् ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री हरदेव
पिता सुरवा जाति बैरवा निवासी प.य। खेडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला
हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम प.य। खेडा पटवार मण्डल प.य। खेडा के खाता संख्या 29 में चमार
दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

(हरदेव)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री हरदेव पिता सुरवा की
ग्राम प.य। खेडा प.0म0 प.य। खेडा के खाता संख्या 29 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की
वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा
करें।

पटवारी पटवारी प.य। खेडा शाहपुरा (भीलवाड़ा)
प.0म0 प.य। खेडा
24-8-2022
भू0अ0नि0
वृत्त प.य। खेडा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि. के प्रार्थी श्री हरदेव पिता सुरवा की
ग्राम प.य। खेडा प.0म0 प.य। खेडा के खाता संख्या 29 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की
सिफारिश की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार (भू.अ.)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिपंशा के प्रार्थी
श्री हरदेव पिता सुरवा की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम प.य। खेडा
प.0म0 प.य। खेडा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 29 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश
दिया जाता है। अतः तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)